निश्चित तिथिः– 10–09–2024

नियम–62 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री बिकम सिंह (जसवां प्रागपुर) द्वारा उठाया गया मामला।

''कोऑपर्टिव ट्रेनिंग सेंटर गरली को ऊना स्थानांतरित करने से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन चर्चा करे''

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः–

हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबन्धन केन्द्र गरली जिला कांगड़ा से जिला ऊना में स्थानांतरित करने की कोई योजना या इरादा नहीं है। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबन्धन केन्द्र गरली जिला कांगड़ा वर्ष 1981 से कार्यरत है। इसमें 60 प्रशिक्षणर्थियों के प्रशिक्षण व ठहरने की व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबन्धन केन्द्र गरली बिना किसी व्यवधान के कार्य करता रहेगा तथा अपना उद्देश्य पूरा करता रहेगा।

भारत में सहकारी आन्दोलन के संस्थापक मियाँ हीरा सिंह के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए हिमकोफेड द्वारा ऊना जिले के पंजावर में एक नया सहकारी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना प्रस्तावित है। मियाँ हीरा सिंह ने 1892 में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पंजावर से भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की थी। उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए इस नए केंद्र का नाम मियाँ हीरा सिंह राज्य स्तरीय सहकारी प्रशिक्षण केंद्र पंजावर रखा गया है। इस प्रस्तावित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास 08.02.2024 को किया गया तथा इसकी अनुमानित लागत मु0 795.91 लाख है। इस प्रस्तावित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित जमीन सहकारिता विभाग के नाम है तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास सघं इस जमीन पर इस प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कर रहा है। इस सन्दर्भ मे पंजीयक सहकारी सभायें हि0प्र0 व सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के मध्य एम0 ओ0 यू0 दिनांक 03.08.2024 को हस्ताक्षरित किया गया है।

अतः दोनों प्रशिक्षण केंद्र यानि हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबन्धन केंद्र गरली जिला कांगड़ा और ऊना जिले के पंजावर में प्रस्तावित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान एक साथ काम करते रहेंगे और अपनी–अपनी प्रशिक्षण गतिविधियाँ चलाएंगे।

————————————